रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 1985/भाद्र 25, 1907
No. 444] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 1985/BHADRA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 672 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, बम्बई गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1956 के खण्ड 5 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपाध्यक्ष, बम्बई डॉक लेबर बोर्ड को स्कीम में संबंधित दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए 13 सितम्बर, 1985 से प्रशासनिक निकाय के रूप में नियुक्त करती है ।

[फाइल सं एल डी. बी./53/83-एल 4]

पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 12th September, 1985

ORDER

S.O. 672(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 5 of the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, the Central Government hereby appoints the Deputy Chairman, Bombay Dock Labour Board to be the Administrative Body for the purpose of carrying on the administration of the said scheme with effect from the 13th September, 1985.

[F. No. LDB|53|83-L.IV]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985